FORM NO. III

(2020/)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

जसवंत मीना पुत्र श्री प्रभुलाल मीना निवासी मांच पोस्ट अटा तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार, सहकारी समिति, करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 64/2020 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 02.11.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.11.2020	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार, सहकारी समिति, करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लि0 मामचारी पोस्ट मामचारी रजिस्टर्ड नंबर 96 दिनांक 28.12.2007 को बनी हुई समिति से संबंधित कुल 6 बिन्दूओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने/उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार, सहकारी समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार, सहकारी समिति, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	1353 13.11.2020